

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3
<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>- 23 सुरेन्द्र राम पिता स्व० देगन राम, निवास स्थान पी०डब्ल्यू०डी० कॉलोनी, सर्किल ऑफिस के पास, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-डुरुडुरु, थाना नं०-147, खाता संख्या-121, प्लॉट संख्या-696, रकवा रकवा 0.03 एकड़ (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि (1.) पिंकी देवी पति राजेश राम एवं (2.) सुमन देवी पति सुरेश कुमार पासवान, निवास स्थान डुइडुडु, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON21012700 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-246/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2862/स० दिनांक 31.12.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 629 दिनांक 20.04.2022 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदानुसार -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत धिरुवा भुइंया हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 0.03 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.03 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-137/XII पर सुरेन्द्र राम के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। आवेदक स्वयं जमाबंदी रैयत हैं। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 0.03 एकड़ भूमि है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p>	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख
1	2	3
	<p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में सुरेन्द्र राम पिता स्व0 देगन राम, निवास स्थान पी0डब्ल्यू0डी0 कॉलोमी, सर्किल ऑफिस के पास, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुरुहुरु, थाना नं0-147, खाता संख्या-121, प्लॉट संख्या-696, रकवा रकवा 0.03 एकड़ (03 डिसमिल) (तीन डिसमिल) भूमि (1.) पिंकी देवी पति राजेश राम एवं (2.) सुमन देवी पति सुरेश कुमार पासवान, निवास स्थान हुड़हुड़, पोस्ट-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p>अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	<p>प्रिषक,</p>